



2026:AHC:52652

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट - ए संख्या - 19456 वर्ष 2025

उमेश चंद्र राय

.....याचिकाकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य

.....प्रतिवादीगण

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता : रुद्र कांत मिश्रा

प्रतिवादीगण के अधिवक्ता : सी.एस.सी. (स्थायी अधिवक्ता)

न्यायालय संख्या - 33

माननीय न्यायमूर्ति विकास बुधवार

1. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री रुद्र कांत मिश्रा और राज्य-प्रतिवादीगण की ओर से उपस्थित विद्वान अपर मुख्य स्थायी अधिवक्ता श्री प्रमोद कुमार श्रीवास्तव को सुना गया।
2. रिट याचिकाकर्ता का मामला यह है कि उनकी नियुक्ति 02.09.1971 को लेखपाल के रूप में हुई थी। याचिकाकर्ता के अनुसार, उन्हें गांव की गुटबाजी (पार्टीबंदी) के कारण थाना केराकत, जिला जौनपुर में केस क्राइम नंबर 317 वर्ष 2007, धारा 307, 504, 506 आई.पी.सी. के तहत झूठा फंसाया गया और 21.04.2007 को उन्हें निलंबित कर दिया गया। याचिकाकर्ता का यह भी कहना है कि उन्हें गांव की गुटबाजी के कारण एक अन्य आपराधिक मामले (केस क्राइम नंबर 597 वर्ष 2003) में भी झूठा फंसाया गया था, जिसमें मुकदमे के बाद, अपर सत्र न्यायाधीश/एफ.टी.सी.-चतुर्थ, जौनपुर द्वारा सत्र परीक्षण संख्या 352 वर्ष 2004 में धारा 323/34, 452, 308/34, 506 आई.पी.सी. के तहत दिनांक 16.08.2007 को याचिकाकर्ता को दोषी ठहराते हुए पांच साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई और उन्हें 16.08.2007 को जेल भेज दिया गया। याचिकाकर्ता को दिनांक 03/08.10.2007 के आदेश द्वारा सेवा से बर्खास्त कर दिया गया था। याचिकाकर्ता ने रिट-ए संख्या 63793 वर्ष 2009 दायर की थी, जिसमें निम्नलिखित राहत मांगी गई थी:

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु हैं और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

"1. प्रतिवादीगण को याचिकाकर्ता को 15.04.2007 से 31.07.2009 तक की अवधि के लिए लेखपाल के पद से जुड़े लाभों और अन्य परिणामी लाभों के साथ मासिक वेतन के शेष और बकाया का भुगतान करने का निर्देश देते हुए एक आदेश या निर्देश जारी करना।

2. प्रतिवादीगण को 1 अगस्त 2009 के बाद याचिकाकर्ता को सेवानिवृत्ति पेंशन, भविष्य निधि, सामूहिक बीमा राशि और लेखपाल के पद के लिए अन्य स्वीकार्य लाभों का भुगतान करने का निर्देश देते हुए एक आदेश या निर्देश जारी करना।"

3. ऐसे अन्य और आगे के उचित एवं उपयुक्त आदेश पारित करना जिन्हें यह माननीय न्यायालय मामले की प्रकृति और परिस्थितियों में उचित और न्यायसंगत समझे।

4. प्रतिवादीगण के विरुद्ध याचिकाकर्ता के पक्ष में इस याचिका का खर्च दिलाया जाना।

3. उक्त रिट याचिका को दिनांक 04.10.2010 को निम्नलिखित आदेश पारित करते हुए निस्तारित किया गया था:

"पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना गया।

याचिकाकर्ता को एक आपराधिक मामले में दोषी ठहराया गया है। उसे 08.10.2007 के आदेश द्वारा सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है।

इस याचिका में मांगी गई राहत उन बकायों के संबंध में है जिसका याचिकाकर्ता 15.04.2007 से 31.07.2009 के बीच दावा करता है और 1 अगस्त 2009 के बाद के अन्य लाभों के बारे में है।

ऊपर बताई गई परिस्थितियों में, एक बार जब याचिकाकर्ता को सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है, तो उसे बर्खास्तगी के बाद परिलब्धियों का भुगतान नहीं किया जा सकता है। हालांकि, जहां तक उसकी बर्खास्तगी से पहले के बकायों के दावे का संबंध है, याचिकाकर्ता इस आदेश की प्रमाणित प्रति के साथ एस.डी.एम. (सदर), जौनपुर से संपर्क कर सकता है, जो इस पर विचार कर आदेश पारित कर सकते हैं।

रिट याचिका निस्तारित की जाती है।"

4. इसके बाद याचिकाकर्ता ने रिट-ए संख्या 57716 वर्ष 2011 दायर की,

"i) परमादेश की प्रकृति में एक उपयुक्त रिट, आदेश या निर्देश जारी कर प्रतिवादी संख्या 3 को निर्देशित करना कि वह याचिकाकर्ता द्वारा दिनांक 21.2.2011 को दायर आवेदन (जो इस रिट

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

याचिका के संलग्नक संख्या 2 में निहित है) का निर्णय करें और याचिकाकर्ता के सभी सेवानिवृत्ति बकायों का बिना किसी देरी के तत्काल भुगतान करें।

ii) कोई अन्य रिट, आदेश या निर्देश जारी करना, जो यह माननीय न्यायालय मामले की परिस्थितियों में उचित और सही समझे।

iii) याचिकाकर्ता के पक्ष में याचिका का खर्च दिलाया जाए।"

5. उक्त रिट याचिका को निम्नलिखित आदेश पारित करते हुए निस्तारित किया गया था:

"याची के अधिवक्ता का कथन है कि रिट याचिका संख्या 63793 वर्ष 2009 में पारित आदेश दिनांक 04.10.2010 के अनुपालन में, इस न्यायालय ने निर्देशित किया है कि याची अवधि 15.04.2007 से 31.07.2009 तक के बकाये और 1 अगस्त, 2009 के बाद के अन्य लाभों के लिए उप-जिला मजिस्ट्रेट, सदर, जौनपुर से संपर्क कर सकता है। उन्होंने प्रस्तुत किया कि याची ने उप-जिला मजिस्ट्रेट, सदर, जौनपुर के समक्ष प्रत्यावेदन दिनांक 21.02.2011 (रिट याचिका का संलग्नक-2) प्रस्तुत किया है, जो विचाराधीन है।

उपरोक्त के आलोक में, रिट याचिका को प्रतिवादी संख्या 3, उप-जिला मजिस्ट्रेट, सदर, जौनपुर को निर्देशित करते हुए निस्तारित किया जाता है कि वे याची के प्रत्यावेदन को शीघ्रता से, अधिमानतः इस आदेश की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत करने की तिथि से तीन महीने की अवधि के भीतर, एक सकारण आदेश के माध्यम से, पूर्णतः कानून के अनुसार निस्तारित करें।"

6. इसके पश्चात रिट याची ने यह दावा करते हुए प्रतिवादियों से संपर्क किया कि यद्यपि रिट याची को अपर सत्र न्यायाधीश/एफ.टी.सी.-चतुर्थ, जौनपुर द्वारा एस.टी. संख्या 352 वर्ष 2004 में धारा 323/34, 452, 308/34, 506 आई.पी.सी. के तहत पारित निर्णय और आदेश दिनांक 16.08.2007 के माध्यम से दोषी ठहराया गया था और पांच साल के कारावास की सजा सुनाई गई थी, जिसके विरुद्ध रिट याची ने आपराधिक अपील संख्या 5510 वर्ष 2007 दायर की जिसमें 23.08.2007 को रिट याची को जमानत पर

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



रिहा कर दिया गया है, अतः रिट याची को सेवा में बहाल किया जाए; और उक्त दावे को दूसरे प्रतिवादी द्वारा दिनांक 20.12.2011 को पारित आदेश के माध्यम से इस आधार पर खारिज कर दिया गया कि रिट याची दोषसिद्ध है और आपराधिक अपील लंबित है।

7. रिट याची के अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया है कि बर्खास्तगी आदेश दिनांक 03/08.10.2007 और याची के बहाली के दावे को नकारने वाला आदेश दिनांक 20.12.2011 इस सरल कारण से कायम रहने योग्य नहीं है कि रिट याची को जमानत पर रिहा कर दिया गया है।

8. दूसरी ओर, विद्वान अपर मुख्य स्थायी अधिवक्ता का तर्क है कि स्थिति जो भी हो, एक बार जब रिट याची दोषसिद्ध हो जाता है और अपील दायर की जाती है जिसमें रिट याची को जमानत पर रिहा कर दिया गया है, तो इसे इस अभिव्यक्ति के रूप में नहीं माना जा सकता कि दोषसिद्धि और सजा दोनों पर रोक लगा दी गई है।

9. मैंने पक्षों के अधिवक्ता को सुना है और अभिलेखों का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया है।

10. स्पष्ट रूप से, रिट याची दो आदेशों को चुनौती देता है, पहला बर्खास्तगी का आदेश और दूसरा वह आदेश जिसके द्वारा जमानत पर रिहाई और आपराधिक अपील के लंबित होने के बाद, बहाली के दावे को खारिज कर दिया गया है।

11. न्यायालय की राय में, जब तक दोषसिद्धि अस्तित्व में है, तब तक रिट याची सेवानिवृत्ति के पश्चात मिलने वाले परिणामी लाभों के लिए अधिकार के रूप में दावा नहीं कर सकता, जिसकी वह उस संबंध में मांग करता है।

12. तदनुसार, रिट याचिका निस्तारित की जाती है।

13. रिट याची के लिए यह विकल्प खुला रखा जाता है कि वह आपराधिक अपील के परिणाम और निर्णय के बाद उचित समय पर उचित कार्यवाही कर सके।

14. विलंब, शिथिलता और पोषणीयता के प्रश्न को प्रतिवादियों के लिए उस समय उठाने हेतु खुला छोड़ दिया जाएगा।

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



15. आज दाखिल किए गए निर्देशों को रिकॉर्ड पर लिया जाता है और परिशिष्ट 'ए' के रूप में अंकित किया जाता है।

16 मार्च, 2026

आशु

(विकास बुधवार, जे.)

Translated Version. Not for Legal Use.

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।